न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 84/2024

अनवान : –

1. शिवकुमार पुत्र रविन्द्र जाति जाट साकिन हुन्तपुरा तहसील भादरा नाबालिग जरिये वली संरक्षक माता रेखा पत्नी रविन्द्र जाति जाट साकिन हुन्तपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.) ।

– प्रार्थी

बनाम्

1. विजयसिंह पुत्र रामपत जाति जाट साकिन हुन्तपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. रविन्द्र पुत्र विजयसिंह जाति जाट साकिन हुन्तपुरा तहसील भादरा
3. मनीष पुत्र विजयसिंह जाति जाट साकिन हुन्तपुरा तहसील भादरा
4. सरजीत पुत्र रामपत जाति जाट साकिन हुन्तपुरा तहसील भादरा
5. ध्यानसिंह पुत्र रामपत जाति जाट साकिन हुन्तपुरा तहसील भादरा
6. श्योपती पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट साकिन हुन्तपुरा तहसील भादरा
7. संजय पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट साकिन हुन्तपुरा तहसील भादरा
8. सुनील पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट साकिन हुन्तपुरा तहसील भादरा
9. उप पंजियक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 29/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रेाही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के संख्या 128/137 के ख.न. 259 की 8. 1570, 262 की 5. 5520 कुल 13.7090 हैक्टेयर भूमि में रामपत पुत्र सांवलाराम 1/4 हिस्सा का खातेदार कास्तकार था। रामपत पुत्र सांवलाराम (फोत) हो गया जिसके जायज वारीस गैरसायल न. 1, 4, 5 एवं वेदप्रकाश पुत्र रामपत ही हैं। वेदप्रकाश पुत्र रामपत फोत होगा जिसके जायज वारीस गैरसायल न. 6 ता 8 ही हैं। रामपत पुत्र सांवलाराम के (फोत) होने पर उनके नाम दर्ज विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा में गैरसायल न. 1, 4, 5 प्रत्येक 1/16 हिस्सा के एवं गैरसायल न. 6 ता 8 ब.हि.ब. 1/16 हिस्सा के खातेदार दर्ज हुए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:15:39 IST
Reason: SelfAttested

सायल एवं गैरसायलान संयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य हैं। सायल न. 1 सायल का दादा एवं गैरसायल न. 2 ता 3 का पिता एवंपरिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान है एवं विवादित भूमि गैरसायल न. 1 को अपने पिता के फोत होने पर विरास्तन प्राप्त होगी है इसलिए

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विवादित भूमि पैतृकि जदी जायदाद है जिसमें सायल का जन्म से ही विवादित भूमि में अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है इसलिए गैरसायल न. 1 के 1/16 हिस्सा में गैरसायल न. 1 ता 3 का 1/48, 1/48 हिस्सा बनता है एवं गैरसायल न. 2 के 1/48 हिस्सा में सायल एवं गैरसायल न. 2 का 1/96, 1/96 हिस्सा बनता है। सायल एवं गैरसायलान अपने हक व हिस्सा की भूमि को कास्त करते एवं रकम राज अदा करते आ रहे हैं।

विवादित भुमि पैतृकि जदी जायदाद है जो गैरसायल न. 1 को परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान होने के कारण अपने पिता के फोत होने पर विरास्तन प्राप्त होगी जिसमें सायल का जन्म से ही अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण सायल के खातेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिए सायल विवादित भुमि में अपने 1/96 हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में विवादित भुमि अपने नाम अमल दरामद करवाने का अधिकारी है। 9–यह कि रामपत पुत्र सांवलाराम के (फोत) होने पर उनके नाम दर्ज भूमि गैरसायल न. 1, 4, 5 व गैरसायल न. 6 ता 8 को विरास्तन प्राप्त होगी लेकिन अब गैरसायल न. 1 के मन में बेईमानी आ गई है वह विरास्तन भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर बिना किसी आवश्यकता के सायल को नुकसान पहुंचाने के लिए विवादित भुमि अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए विवादित भुमि को रहन बैय एवं मुतंकिल करने की सरेआम धमकी देता है यदि गैरसायल न. 1 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है इसलिए सायल, गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 128/137 की कुल 13.7090 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:15:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामपत के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की प्रार्थी का दादा है रामपत का देहान्त हो चुका है अप्रार्थी स0 1 जो की प्रार्थी का पिता है उक्त भूमि को अपने नाम अकेला दर्ज करवाकर प्रार्थी को उसके हक हिस्सा से

महरूम करना चाहता है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामपत के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है रामपत का देहान्त हो चुका है यानि की वर्तमान में वाद भूमि मृतक के नाम दर्ज है अत मृतक के नाम भूमि दर्ज होने के कारण गैरसायलान को पाबन्द किया जाना उचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 06.05.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/01/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:15:39 IST
Reason: SelfAttested